(56)

मंडल कार्यालय आदेश - 23/2024

पत्र सं.849-W/10/Safety/2023/M-1/X

दिनांक - 05.08.2024

समस्त मुख्य लोको निरीक्षक
एवं मुख्य क्र्यू नियन्त्रक
जोधपुर एंव मेडता रोड
समस्त लोको पायलट, लोको पायलट शंटर एवम् सहायक लोको पायलट

विषय:- मानसून /वर्षा के मौसम में रखी जाने वाली सावधानिया |

मुख्य लोको निरीक्षको को निर्देश दिए जाते हैं कि अपने नामित व अन्य रनिंग स्टाफ को मानसून /वर्षा के मौसम में सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए निम्न मदों पर काउन्सलिंग कर मंडल कार्यालय में रिपोर्ट जमा करवाये।

1. लोको पायलट/सहा.लोको पायलट द्वारा लोको का चार्ज लेते समय सुनिश्चित करे कि सैडिंग और वाईपर सिस्टम कार्यरत है।
2. जिन निर्धारित स्थानों पर सैंड/बालू भरी जाती है यहां लोको पायलट अपने लोकों में सूखी रेत भरवाना सुनिश्चित करे ।
3. सेडिंग सिस्टम का आवश्यकतानुसार ही प्रयोग करें, लगातार अत्यधिक प्रयोग करने से MR प्रेशर गिरने की समस्या हो सकती है।
4. MR टैंक से नियमित माइश्चर नमी ड्रेन करते रहे।
5. तेज चक्रवात आने पर सामान्य व सहायक नियम 2.11 के अनुसार निम्न प्रकार कार्यवाही करे ।

सा.व स. नियम 2.11 (1) तूफान तेज हवा और धूल भरी आंधी के दौरान गाड़ियों के संचालन के लिए बरती जाने वाली सावधानिया-

I. जब मौसम विभाग से चक्रयात, तूफान या तेज हवा की पूर्व सूचना देते हुए चेतावनी संदेश प्राप्त हो जाए और/या इस बात की समुचित आशंका हो कि तेज तूफान आने वाला है जिससे यात्रियों, गाड़ियों जादि की संरक्षा खतरे में पड सकती है तो स्टेशन मास्टर, जब तक कि तूफान थम ना जाए और वह गाडियों के संचालन को निरापद ना समझे, गाडी के गार्ड और लोको पायलट से परामर्श करके गाड़ी की रोक देगा और उसके स्टेशन पर आने वाली गाड़ी को लाइन क्लियर देने से भी मना कर देगा।

II. यदि कोई चलती हुई गाडी ऐसे चक्रवात, तूफान या तेज हवा में फंस जाए जिस की गति लोको पायलट की राय में इतनी तेज हो कि उसे गाड़ी की संरक्षा खतरे में पड़ सकती हो तो वह अपने गाडी की गति को तत्काल नियंत्रित करेगा और गाड़ी को पहले सुविधाजनक स्थान रोक देगा तथा यथा संभव यह ध्यान रखेगा की गाडी तीर्व मोड़ो, उच्चे तटबन्धों और पुलों (इसमें उनके पहुंच मार्ग शामिल है। पर न रोकी जाए। गति को नियंत्रित करते समय और गाड़ी को रोकते समय लोको पायलट अपनी गाड़ी बड़ी सावधानी से और बिना झटके से रोकेगा। यह गाड़ी को गार्ड के परामर्श से तभी पुनः चलाएगा जब चक्रवात, तूफान या तेज हवा थम जाए और आगे बढ़ना निरापद समझा जाए।

III. गार्ड तथा लोको पायलट गाड़ी में यात्रा कर रहे रेल कर्मचारियों के सहयोग से यह देखने का प्रयास करेंगे कि यात्रियों द्वारा सवारी डिब्बे के दरवाजे और खिडकिया खुले रखे जाते हैं ताकि उनसे होकर तेज हवा निर्बाध रूप गुजर सके |

IV. लंबी अवधि के भयंकर धुल भरे तूफान के मामले में. जस रेल की सतह पर धूल रेल की ऊंचाई तक पहुँचने की संभावना हो तो सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा ट्रैक की पेट्रोलिंग शुरू कर देना चाहिए । गाड़ी के लोको पायलट

द्वारा धुल के एकत्रित होने की जानकारी होने पर यह ऐसी प्रतिबंधित गति से चलेगा कि वह रेल के बगल में एकत्रित पुल को स्थिति को जान सके। यदि कोई असुरक्षित स्थिति पाई जाती है तो वह अगले स्टेशन को सूचित करेगा।

6. लाइन पर पानी आने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही करे ।

क्र.सं.	पानी का स्तर	इलेक्ट्रिक लोको	डीजल लोको
1	रेल लेवल तक या निचे पानी हो	सामान्य सेक्शनल गति	सामान्य सेक्शनल गति
2	रेल लेवल के ऊपर 75mm (3") तक पानी	15 km/h	08 km/h से अधिक नही
3	रेल लेवल के ऊपर 75 m.m (3") से अधिक परन्तु 100m.m.(4") तक पानी हो	08 km/h से अधिक नही	08 km/h से अधिक नही
4	रेल लेवल के ऊपर 100m.m.(4") से अधिक पानी हो ।	उसकी शक्ति से गाड़ी नहीं चलाई जाएगी यदि जरूरी हो तो डीजल इंजन की मदद से बींचा जाएगा ।	यदि पानी का स्तर 100m.m. (4") से और बढ़ने की संभावना हो तो इंजन को यथासंभव सुरक्षित स्थान पर ले जाने के प्रयास किए जाये

7. गाड़ी संचालन के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरते और यदि इन स्थानों पर कोई असाधारण झटका आये तो इसकी सुचना तुरंत नजदीकी स्टेशन को तय नियमो के अनुसार देवे । साइन ऑफ होते समय unusual register एवं cms पर भी दर्ज करे।

सभी मु.लोको निरीक्षको को इसमें निहित निर्देशों के अलावा इससे सम्बन्धित जी एंड एसआर, ऑपरेटिंग और एसीटीएम के अन्य निर्देशों को भी क्रू को काउन्सलिंग करे |

वरि. मंडल यांत्रिक इंजी. (Enhm&P)
उ.प. रेलवे ,जोधपुर

प्रतिलिपि -मंडल रेल प्रबन्धक,जोधपुर -सादर सूचनार्थ
अपर मंडल रेल प्रबन्धक (OP), जोधपुर सादर सूचनार्थ
स.म.या.इंजी.(शक्ति),जोधपुर , सूचनार्थ